प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ़ मे बन्दरलीमा हड़खोला मोटर मार्ग का विस्तार (लम्बाई 4.00 किमी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – बन्दरलीमा /हड़खोला / तोलीचुफाल

तहसील– कनालीछीना जिला–पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ के अन्तर्गत बन्दरलीमा हड़खोला मोटर मार्ग का विस्तार (लम्बाई 4.00 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु शून्य हे0, आरक्षित वन भूमि, 0.990 हे0 सिविल सोयम भूमि, शून्य हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 0.990 हे0 वन भूमि का निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बन्दरलीमा /हड़खोला/हचीला द्वारा दिनांक 10/06/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम — बन्दरलीमा /हड़खोला/तोलीचुफाल के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– [signature]
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत वि0अ0 क्षेत्र तोलीचुफाल विकास खण्ड बेरीनाग जिला पिथौरागढ़

ह0/– कुन्ती देवी
ग्राम प्रधान
श्रीमती कुन्ती देवी प्रधान ग्राम पंचायत- तोली चुफाल वि0खं0- डीडीहाट (पिथौरागढ़)

नन्दा
नन्दा देवी क्षेत्र पंचायत सदस्य तोलीचुफाल वि0ख0 डीडीहाट, पिथौरागढ़

R Bhatt
सरपंच वन पंचायत– बन्दरलीमा डीडीहाट पिथौरागढ़

सरपंच (सेलमा)
सरपंच वन पंचायत– तोलीचुफाल डीडीहाट (पिथौरागढ़)

केसर सिंह
सरपंच ग्राम पंचायत हड़खोला जनपद– पिथौरागढ़

F:\PWD_ASKOTE_LETTER'S\pal\pandey G\PANDEY G Ammin\Till_Febuary\Banderleema_Harkhola_Moter Road

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ़ मे बन्दरलीमा हड़खोला मोटर मार्ग का विस्तार (लम्बाई 4.00 किमी0)

दिनांकः– 10/06/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री खड़क सिंह	खड़क सिंह
2	श्री भवान सिंह	भवान सिंह
3	श्री राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
4	श्री प्रवीण सिंह	[illegible]
5	श्री भूपेन्द्र सिंह	भूपेन्द्र सिंह
6	श्री सोबन सिंह	सोबन सिंह
7	श्री रामू सिंह	रामसिंह
8	श्री शेर सिंह	शेर सिंह
9	श्री राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
10	श्री जगत सिंह	जगत सिंह
11	श्री मनोहर सिंह	[illegible]
12	श्री चन्द्र सिंह	चन्द्र सिंह
13	श्री लाल सिंह	लाल सिंह
14	श्री त्रिलोक सिंह	त्रिलोक सिंह
15	श्री किशन सिंह	किशन सिंह
16	श्री मोहन सिंह	मोहन सिंह
17	श्री धन सिंह	धन सिंह
18	श्री लाल सिंह	लाल सिंह
19	श्री तेज सिंह	रामसिंह
20	श्री रामू सिंह	रामसिंह
21	श्री राजेन्द्र सिंह	[illegible]
22	श्री भूपेन्द्र सिंह	[illegible] सिंह
23	श्री गणेश सिंह	[illegible]
24	श्री पूरन सिंह	P S [illegible]
25	श्री भवान सिंह	भवान सिंह

कुन्ती देवी
श्रीमती कुन्ती देवी
ह0 / – प्रधान
ग्राम पंचायत- तोली चुफाल
ग्राम प्रधान
वि0ख0- डीडीहाट (पिथौरागढ़)

R Bhatt
सरपंच
वन पंचायत– बन्दरलीमा
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

[signature]
सरपंच
वन पंचायत– तोलीचुफाल
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

नन्दा
नन्दा देवी
क्षेत्र पंचायत सदस्य
तोली चुफाल
वि0ख0 डीडीहाट, पिथौरागढ़

[signature]
सरपंच
वन पंचायत हड़खोला
जनपद पिथौरागढ़

F:\PWD_ASKOTE_LETTER'S\pal\pandey G\PANDEY G Ammin\Till_Febuary\Banderleema_Harkhola_Moter Road

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ में बन्दरलीमा हड़खोला मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 4.00 कि0मी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी डीडीहाट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,डीडीहाट

उपखण्ड डीडीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ में बन्दरलीमा हड़खोला मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 4.00 कि0मी0) (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.990 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि शून्य हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.990 हे0 वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील डीडीहाट) की दिनांक 30.9.2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री जय भारत सिंह, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री जय भारत सिंह –उपजिलाधिकारी ———————————— अध्यक्ष

2– श्री ए०के० श्रीवास्तव उप प्रभागीय वनाधिकारी———————————— सदस्य

3– श्री आर० एस० सामन्त सहायक समाज कल्याण अधिकारी—डीडीहाट— सदस्य / सचिव

4– श्री [illegible] बी0डी0सी0 क्षेत्र ———————————— सदस्य

5– श्रीमती हेमा देवी ———————— ———————— सदस्य

6– श्रीमती देवकी देवी ———————————— सदस्य

उप जिलाधिकारी डीडीहाट जनपद पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ में बन्दरलीमा हड़खोला मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 4.00 कि0मी0) परियोजना हेतु 0.990हे0 वनभूमि निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, डीडीहाट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ में बन्दरलीमा हडखोला मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 4.00 कि0मी0) परियोजना के निर्माण हेतु 0.990 हे0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

30/09/15

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– डीडीहाट
जनपद पिथौरागढ़

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, महोदय पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– डीडीहाट
जनपद पिथौरागढ़

FROM - I

GOVERENMENT OF UTTARAKHAND

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR PITHORAARH

No. .... Dated. 09-10-2015

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter no. 11-9/98-EC(pt) dated 3rd august 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes and with MOEF,s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **0.990** Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of BANDARLEEMAHARKHOLA Road Construction Division P.W.D. Askote (Purpose for diversion of forest land) in Pithoragarh Distt. falls within jurisdication of **Banderleema-Selma-Toli Chuphat Harkhola village(s)** in DIDIHAT **Tahsils.**

It is further certified that:-

(a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out of the entire **0.990** hectares area proposed for diversion A copy of records of all consolation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha (s) sub- division level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required as required under section 3 (2) of FRA have been completed and the Gram Shabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural at communities

Encl: As above

Signature

जिलाधिकारी

पिथौरागढ़

(Full Name of the official seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT-PITHORAGARH (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pithoragarh district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Sushil Kumar I.A.S. deputy commissioner Pithoragarh on dated 09/10/2015 at time 2.00.....at Pithoragarh in which application claiming rights of Banderleema, Tooli Chufat area measuring ..0.:.990 hect for the construction of Banderleema Hadkhola Motor Raod 4.00 Km forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the division level committee of Askote division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

Place-Pithoragarh
Dated:.09/10/2015

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

It is further certified that :

Sl. No.		
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire **0.990 _hect.** of forest area proposed for diversion . A copy of records of all consultation and meetings of the forest rights committee are enclosed an annexure I to annexure.	Yes. Copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers. No objection certificate of concerned motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers.

Encl: As above

Signature

(Full Name [illegible]icial seal of the District Collector)

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग